

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 1/2010-11

विज्ञापन संख्या :- 1/विज्ञापन/भर्ती/2010-11

दिनांक : 16.06.2010

1. आयुर्वेद विभाग के लिए आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 300 पदों की राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत भर्ती हेतु निर्धारित **O.M.R. Application Form** पर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद स्थाई/अस्थायी-स्थायी होने की सम्भावना के हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

पद क्रम संख्या	पद का नाम	कुल रिक्त पद	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)											निःशक्त जन L.D. & C.P. (OL/BL)		
			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग						
			सामान्य	महिला	विधवा	सामान्य	महिला	विधवा	सामान्य	महिला	विधवा	सामान्य	महिला	विधवा				
31	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	90	34	14	-	10	4	-	7	3	-	13	5	-	-	-	-	9
		वर्तमान के पद जो कि दिनांक 10.10.02 के पश्चात् के हैं।																
		210	-	-	-	91	38	1	56	23	1	-	-	-	-	-	-	
बैकलॉग के पद जो कि 10.10.02 के पूर्व के हैं।																		

विशेष नोट :- O.M.R. Application Form के कॉलम संख्या 2 में आवेदित पद की क्रम संख्या: 31 अवश्य अंकित करें। पद की क्रम संख्या गलत भरने पर अभ्यर्थी को उनके द्वारा O.M.R. Application Form में भरे गये पद की क्रम संख्या के विषय में प्रवेश दिया जाएगा और इस कॉलम को रिक्त छोड़ दिये जाने की स्थिति में उसका O.M.R. Application Form रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

नोट :-

- राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22-6-2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जाएगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जाएगा।
- राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्तमान के आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए :-**

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.L.- One leg affected (R or L)

(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

B.L.- Both legs affected but not arms.

- निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
 - उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।
 - निःशक्तजन आवेदक O.M.R.Application Form के कॉलम संख्या 3 व 4 के यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
 - ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- (4) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण :-** किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- (5) महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 5 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (6) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- (7) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

2. शैक्षणिक योग्यताएं:-

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे आवेदक **O.M.R. Application Form** के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन के कॉलम में दर्शाये "App." गोले की पूर्ति करें अन्यथा आवेदक का **O.M.R. Application Form** प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. **आयु:-** दिनांक 01.01.2011 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-
"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"
स्पष्टीकरण : आयोग द्वारा वर्ष 2002 में इन पदों को विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2003 को की गई थी इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2011 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
- (2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :-
 - (क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
 - (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष और
 - (ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) रिजर्विस्ट, जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में स्थानान्तरण हो गया हो, के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- (4) भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्सटिटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (5) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- (7) कैंडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
- (8) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय, चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
- (9) राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति की विधवा महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
(स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)
- (10) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- (11) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (12) राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा में इस प्रकार से छूट दी जावेगी :-

- (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष;
(ख) पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

4. **वेतनमान :-** रनिंग-पे-बेण्ड संख्या -3 (15600-39100) ग्रेड-पे संख्या -15 (रूपये 5400/-)
" ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।"

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं । **कार्य :** विभाग द्वारा निर्धारित पद से संबंधित कार्य।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार

मुख्यालय : राजस्थान में कहीं पर भी (राजकीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों में)

पेंशन :- दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. **आवेदन-पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक:-** आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक: **30-07-2010 (30 जुलाई 2010)** सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

प्रेषण: O.M.R. Application Form भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजे। एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Form भेजा जावे। एक लिफाफे में एक से अधिक O.M.R. Application Form भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी O.M.R. Application Form को प्रथम दृष्ट्या पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाएं अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें। आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन-पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन-पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात् पहुंचने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो।

6. **संवीक्षा परीक्षा का स्थान एवं योजना :-**

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा अजमेर (कोड सं.-1) में आयोजित कराये जाने की सम्भावना है। अतः आवेदक अजमेर जिले का कोड नम्बर OMR Application Form के कॉलम सं0 8 में भरे। **संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।** आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।

इन पदों की संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type) से ली जावेगी।

7. **आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क :-**

पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित O.M.R.Application Form के मूल्य में परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा। अतः आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन-पत्र क्रय कर आवेदन करे। यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के O.M.R.Application Form भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे O.M.R.Application Form को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

- (क) सामान्य वर्ग हेतु रूपये 250/- का O.M.R.Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 200/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/-)
(ख) राजस्थान की पिछड़ा वर्ग की नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 150/- का O.M.R. Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 100/- + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50 /-)
(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों हेतु रूपये 50/- का O.M.R.Application Form (इन वर्गों के आवेदक शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का ही मूल्य रूपये 50/- लिया जा रहा है।)

नोट :-

- (1) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा। ऐसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।
(2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।

8. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में :-** सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। जो आवेदक पहले से कार्यरत हैं उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
9. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-**
- 1 किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो,, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
 - 2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
 - 3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :-
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - 4 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
 - 5 आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
10. **अनुचित साधनों की रोकथाम:** परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfair means during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।
11. **श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा :-** सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना-पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।
12. **आवेदन कैसे करें :-** आवेदक राजस्थान राज्य के सभी सम्भागीय मुख्यालयों के जिला रोजगार कार्यालयों से आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित OMR Application Form नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन कर सकते हैं। **आवेदन-पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें।** इस सम्बन्ध में विज्ञापन के बिन्दु आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क का आवश्यक रूप से अवलोकन करें। **आवेदकों की सुविधा हेतु जयपुर सम्भागीय मुख्यालय पर आवेदन-पत्र निम्न स्थानों से विक्रय किये जायेंगे:-** 1. प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, राम मन्दिर परिसर, पुराने विधान सभा के सामने, जयपुर 2. विश्वविद्यालय परिसर रोजगार कार्यालय, जयपुर 3. महिला रोजगार कार्यालय, जयपुर (केवल महिलाओं को आवेदन पत्र विक्रय हेतु)
- नोट:-आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के सभी सम्भागीय मुख्यालयों के जिला रोजगार कार्यालयों से दिनांक 30.06.10 से 27.07.10 तक तथा दिनांक 28.07.10 से आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक केवल रोजगार कार्यालय, अजमेर से O.M.R. Application Form उपलब्ध कराये जायेंगे।**
13. **कृपया ध्यान दें :**
- i. लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पदनाम का अवश्य उल्लेख करें।
 - ii. आवेदक को O.M.R. Application Form भरकर आयोग कार्यालय को भेजना आवश्यक है।
 - iii. विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित O.M.R. Application Form ही भरना चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ-साथ उन्हें पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आयोग द्वारा स्वतः ही मान लिया जावेगा।
 - iv. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक O.M.R. Application Form भरकर भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों के सभी O.M.R. Application Form प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

- v. आवेदक श्रेणीवार तय किये गये आवेदन-पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन-पत्र खरीद कर ही आवेदन करें। गलत श्रेणी का आवेदन-पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- vi. आवेदक O.M.R. Application Form के कॉलम व गोले भरने हेतु **केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें।**
- vii. आवेदक आयोग को आवेदन-पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स में की गई प्रविष्टियाँ एवं नीचे भरे गये गोले एक समान हैं। गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोले
- viii. में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। O.M.R. Application Form के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। अधूरा भरा O.M.R. Application Form अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- ix. OMR Application Form आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनायें संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है तथा घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हस्ताक्षरयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- x. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि O.M.R.Application Form भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं O.M.R.Application Form भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि O.M.R.Application Form में भरी गई सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः पढ़ी जावेगी जिसके आधार पर ही आयोग द्वारा आवेदकों को अस्थाई (Provisional) प्रवेश दिया जावेगा।
- xi. आयोग कार्यालय द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता(आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका O.M.R.Application Form अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। O.M.R. Application Form में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जायेगा।
- xii. विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र भेजकर भरवाया जावेगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- xiii. O.M.R.Application Form के साथ किसी प्रकार के मूल/प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं करें।

14. **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-** आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले आवेदकों से भरवाये जावेंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-
- (अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
- (ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र O.M.R. Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।
- (द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित O.M.R.Application Form पर आवेदन करना होगा।
- (य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि O.M.R.Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये।

नोट :- आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (**Provisional**) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

आयोग की वेबसाइट:-

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं संवीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष टिप्पणी :-

- (1) आवेदक को आयोग के परीक्षा/साक्षात्कार परिसर में मोबाइल फोन लाना वर्जित है।
- (2) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः **O.M.R.Application Form** के साथ आवेदकों को विज्ञापन की प्रति दी जावेगी।
- (3) आयोग को आवेदन-पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :-
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305 026

(एस.एन. नवाल)
परीक्षा नियंत्रक